

पालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

सीन अधिकारी:- ~~विमली मोहन~~ आर.एस.एस.

दमा संख्या:- 380/2017

संज्ञक S/o मोहन लाल जोशी नि.सं. 470 हांजय कॉलोनी
भीलवाड़ा

---प्रार्थीगण

बनाम
बनना लाल S/o लालूराम गुजर
शैल लाल S/o लालूराम गुजर
बहु लाल S/o लालूराम गुजर नि.सं. 470 हांजय कॉलोनी

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 9/5/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धूमडी पटवार हल्का 6/1/1 सील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 612/1, 767, 776/1 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 0 बिस्वा स्थित हैं। वाद भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा की विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20-11-17 को पंजीबद्ध किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में प्री प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी कार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम धूमडी पटवार हल्का 6/1/1 तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2/1, 767, 776/1 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 0 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ... को 200 रूपये (अक्षर:- दो सौ) कमीशनर फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमीशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखे हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

लिपि:- तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा